der or Or ceeding

20/02/2017

01:45

10

02:00 P.M

आवेदक सर्वेश्वरदयाल द्वारा श्री अशोक सिंह

राणा अधिवक्ता अनावेदक द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी। अनावेदक अधिवक्ता ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनावेदक अधिवक्ता ने लिखत जवाब पेश आवेदनपत्र धारा–451 जा.फौ. का लिखित जवाब पेश

नहीं करना व्यक्त किया । उभयपक्ष को धारा-451 जा.फौ. सुपुर्दगीनामा

आवेदनपत्र पर सुना गया । अविदन पत्र पर विचार किया अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक सर्वेश्वरदयाल की ओर से श्री राणा अधिवक्ता ने जब्तशुदा मोटर साइकिल रजि. श्री राणा अधिवक्ता ने जब्तशुदा मोटर साइकिल रजि. क्.—एम.पी.—30 एम.ई.—3079 का पंजीकृत स्वामी होने से सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया। अपने सोवेदनपत्र के समर्थन में उसने मोटरसाइकिल का मूल रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया है।

जिनका कोई विरोध नहीं करते हुए ए.जी.पी. ने उक्त मोबाइल आवेदक की सुपुर्दगी पर दिये जाने पर

सहमित प्रकट की ।

मूल अभिलेख के अवलोकन से थाना गोहद द्वारा
अपराध कमांक 334/16 धारा 394, 34 भादिव.
अपराध कमांक 134/16 धारा 394, उप भादिव.
सहपित 11, 13 एम.पी.डी.ब्ही.पी.के. एक्ट में
मोटरसाइकिल जप्त होना पाया जाता है ।

आवेदक द्वारा जिस मोटरसाइकिल को सुपुर्दगी
पर चाहा गया है, वह आरोपी से जब्त हुई है। जिसके
जब्ती पत्रक में उल्लेखित इंजन नंबर व चेसिस नंबर
का मिलान आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल रिजस्ट्रेशन से
करने पर आवेदक ही उक्त मोटरसाइकिल का स्वामी
होना प्रतीत होता है, मोबाइल के थाना परिसर में रखे
रहने से उसमें आने वाली यांत्रिक खराबी से इंकार नहीं
किया जा सकता है एवं मोटरसाइकिल की उपयोगिता
में हास होगा एवं उसे सुपुर्दगी पर दिये जाने पर
विचारण पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना
नहीं है। इसलिये प्रकरण के विचारण के दौरान आवेदक
उसका उचित अभिरक्षा का पात्र प्रतीत होता है।

अतः बाद विचार आवेदक सर्वेश्वरदयाल द्वारा प्रस्तुत सुपुदर्गीनामा आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर

वा सी आये।

II-156

## Order Sheet [Contd]



Case No. 13.4. 62. of 20 12. 2 %

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक सर्वेश्वरदयाल की ओर से मोटर साइकिल रजि.क.—एम.पी.—30 एम.ई. —3079 प्राप्त करने हेतु पचास हजार रूपये का सुपुदर्गीनामा निम्न शर्तों के अधीन पेश किया जावे तो उसे उक्त मोटर साइकिल आवेदक सर्वेश्वरदयाल को सुपुर्दगी पर दी जावे:— 1— वह मोटर साइकिल के मूल स्वरूप, रंग रोगन में परिवर्तन नहीं करेगा। 2— मोटर साइकिल का रहन व्ययनन नहीं करेगा। 3— न्यायालय में आवश्यकता होने पर स्वयं के व्यय पर पेश करेगा। 4— किसी प्रकार के अपराध में प्रयोग नहीं करेगा। मूल रजिस्ट्रेशन वापिस हों। आदेश की प्रति मूल प्रकरण में संलग्न हो। परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो। (पी0सी0 आर्य) विशेष न्यायाधीश, डकैती, गोह	